

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 17-06-2025

विषय सूची

- » भारत का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम(CLNDA)
- » खाना पकाने के तेल से ई-अपशिष्ट से चांदी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकती है
- » भारत में पारंपरिक बीज किस्मों का संरक्षण
- » SIPRI वार्षिक रिपोर्ट 2025
- » बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म

संक्षिप्त समाचार

- » अरेबियन पैनिनसुला
- » साइप्रस प्रश्न
- » भारत रैंडरपेस्ट वायरस 'मवेशी प्लेग' नियंत्रण के विशिष्ट समूह में सम्मिलित
- » FATF ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की
- » भारत ने सूरीनाम को मशीनरी की अंतिम खेप भेजी
- » भारत का कुल व्यापार घाटा घटकर 6.6 अरब डॉलर रह गया
- » अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)
- » बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन

भारत का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA)

संदर्भ

- भारत, यू.एस. और अन्य विदेशी कंपनियों को नागरिक परमाणु परियोजनाओं में आकर्षित करने के लिए, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं पर दुर्घटना से संबंधित जुर्माने को कम करने हेतु परमाणु दायित्व कानूनों में ढील देने पर विचार कर रहा है।

नागरिक परमाणु दायित्व क्या है?

- नागरिक परमाणु दायित्व कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि परमाणु दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा मिले और यह परिभाषित करते हैं कि यह मुआवजा किसकी जिम्मेदारी होगी।
- दायित्व सामान्यतः परमाणु प्रतिष्ठान के परिचालक का होती है, जो प्रायः एक सार्वजनिक संस्था होती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया आसान होती है और मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित होती है।

भारत की परमाणु अवसंरचना

- भारत 22 परमाणु रिएक्टरों का संचालन करता है, जो सभी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा संचालित होते हैं, तथा भविष्य में और रिएक्टरों की योजना है।
- यू.एस., फ्रांस और जापान के साथ नागरिक परमाणु समझौते होने के बावजूद, केवल रूस (कुडनकुलम परियोजना) वर्तमान में कार्यान्वयन कर रहा है, मुख्यतः भारत के दायित्व तंत्र की चिंताओं के कारण।
 - ▲ जैतापुर परमाणु संयंत्र (फ्रांस के साथ): 2009 से लंबित, दायित्व संबंधी मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं।
 - ▲ कोव्वाडा परियोजना (आंध्र प्रदेश): अभी तक शुरुआत नहीं हुई है।
 - ▲ केवल रूस ही पूर्व-CLNDA समझौतों के कारण परमाणु परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा

- 1986 की चेरनोबिल दुर्घटना के बाद वैश्विक परमाणु दायित्व ढांचा विकसित हुआ।

- अंतरराष्ट्रीय ढांचा परमाणु प्रतिष्ठान के परिचालक को ही दायित्व सौंपने के सिद्धांत पर आधारित है।
- 1997 में 'कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंटरी कॉम्पेन्सेशन (CSC)' को अपनाया गया था।
 - ▲ यह न्यूनतम मुआवजा राशि निर्धारित करता है और आवश्यकता पड़ने पर सदस्य देशों से सार्वजनिक फंड द्वारा अतिरिक्त राशि प्रदान करने की अनुमति देता है।
- भारत CSC पर हस्ताक्षरकर्ता रहा है लेकिन संसद ने इसे 2016 में ही मंजूरी दी।
 - ▲ अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप बने रहने हेतु भारत ने 2010 में नागरिक परमाणु क्षति के लिए दायित्व अधिनियम (CLNDA) बनाया, ताकि त्वरित मुआवजा प्रदान किया जा सके।
- आपूर्तिकर्ता को जिम्मेदार न ठहराने के कारण: प्रारंभिक दौर में परमाणु ऊर्जा के विकास के समय, विदेशी सरकारों और उद्योग जगत ने सहमति जताई कि:
 - ▲ आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक दायित्व दावे आर्थिक रूप से अव्यवहारिक होंगे।
 - ▲ इस प्रकार के जोखिम परमाणु ऊर्जा के विस्तार को बाधित कर सकते हैं।
 - ▲ इसलिए, दायित्व विशेष रूप से संयंत्र परिचालकों को सौंपा गया, कुछ अपवादों को छोड़कर।
- CSC दो स्थितियों में आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध परिचालक को पुनरावृत्ति का अधिकार देता है:
 - ▲ यदि यह अनुबंध में स्पष्ट रूप से निर्धारित हो।
 - ▲ यदि परमाणु दुर्घटना आपूर्तिकर्ता की जानबूझकर की गई कार्रवाई या चूक से हुई हो।

CLNDA, 2010 के मुख्य प्रावधान

- भारत ने CSC से आगे जाकर CLNDA में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी शामिल की।
- विचलन का कारण: 1984 की भोपाल गैस त्रासदी जैसे अतीत के हादसों से प्रेरित होकर, जहाँ दोषपूर्ण उपकरणों की भूमिका रही।

- ▲ विधायकों ने केवल परिचालक ही नहीं, बल्कि अन्य पक्षों की भी जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहा।
- **परिचालक की जिम्मेदारी:** परिचालक पर सख्त और बिना दोष के दायित्व लागू होता है।
 - ▲ अधिनियम के अनुसार, परिचालक का अर्थ है केंद्र सरकार या वह प्राधिकरण या निगम जिसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 के अंतर्गत संचालन का लाइसेंस प्राप्त हो।
 - ▲ परिचालक को ₹1,500 करोड़ का मुआवजा देना होता है, जिसे बीमा या अन्य वित्तीय साधनों से सुरक्षित किया जाना चाहिए।
 - ▲ यदि दावे इससे अधिक होते हैं, तो सरकार 300 मिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) (₹2,100–₹2,300 करोड़) तक की राशि वहन करेगी।
- **आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी (अनुभाग 17):** भारत की यह व्यवस्था अद्वितीय है और आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी निम्नलिखित आधारों पर तय करती है:
 - ▲ **17(क):** यदि अनुबंध में सहमति हो।
 - ▲ **17(ख):** यदि दुर्घटना दोषपूर्ण उपकरण या सेवाओं के कारण हुई हो (भले ही जानबूझकर न हो)।
 - ▲ **17(ग):** यदि आपूर्तिकर्ता की जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण हो। यह CSC से आगे जाता है, जो केवल अनुबंध की सहमति या जानबूझकर दोष के मामलों में ही पुनरावृत्ति की अनुमति देता है।
- **कानूनी अस्पष्टता (अनुभाग 46):** यह स्पष्ट करता है कि अन्य सिविल या आपराधिक कार्यवाही अधिनियम से बाधित नहीं होंगी।
 - ▲ यह आपूर्तिकर्ताओं पर CLNDA के बाहर टॉर्ट कानून के तहत सिविल मुकदमों की संभावना उत्पन्न करता है, जिससे उनकी संभावित अनलिमिटेड जिम्मेदारी हो सकती है, भले ही परिचालक की जिम्मेदारी सीमित हो।
 - ▲ टॉर्ट कानून एक प्रकार का पुनर्स्थापन न्याय माना जाता है, जो हानि की प्रतिपूर्ति हेतु मौद्रिक क्षतिपूर्ति देने का प्रयास करता है।

सरकार की स्थिति

- केंद्र सरकार का कहना है कि भारतीय कानून अब तक CSC के अनुरूप है।
- अनुभाग 17(ख) के बारे में कहा गया कि यह प्रावधान “अनुमति देता है” लेकिन “अनिवार्य नहीं करता” कि अनुबंध में शामिल किया जाए या परिचालक पुनरावृत्ति का अधिकार उपयोग करे।
- **अनुभाग 46:** इस प्रावधान में ‘आपूर्तिकर्ता’ का कोई उल्लेख नहीं है, अतः यह केवल ‘परिचालक’ पर लागू होता है।
 - ▲ संसदीय बहसों से इसकी पुष्टि होती है कि यह प्रावधान केवल परिचालक तक ही सीमित है, आपूर्तिकर्ता पर नहीं।

निष्कर्ष

- CLNDA में आपूर्तिकर्ता को शामिल करना वैश्विक मानकों से अलग है।
- यह नागरिक परमाणु समझौतों को कार्यान्वित करने में प्रमुख बाधा बन चुका है।
- हालाँकि सरकार कहती है कि कानून लचीलापन प्रदान करता है, फिर भी कानूनी प्रावधान अनुबंध की स्पष्ट सहमति के बिना भी आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी निर्धारित करते हैं।
- जब तक इसे स्पष्ट या संशोधित नहीं किया जाता, भारत के परमाणु क्षेत्र में विदेशी भागीदारी सीमित रह सकती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय परमाणु सहयोग प्रभावित हो सकता है।

Source: TH

खाना पकाने के तेल से ई-अपशिष्ट से चांदी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकती है

संदर्भ

- फिनलैंड के शोधकर्ताओं ने एक हरित रासायनिक प्रक्रिया विकसित की है जो खाना पकाने के तेलों में पाए जाने वाले प्राकृतिक फैटी एसिड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-वेस्ट) से चांदी पुनः प्राप्त करती है।

- ▲ यह नवाचार वैश्विक स्तर पर चांदी की मांग में तेजी और विशेष रूप से भारत जैसे देशों में बढ़ती ई-वेस्ट समस्याओं के बीच सामने आया है।

ई-वेस्ट क्या है?

- ई-वेस्ट उन परित्यक्त इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों को कहते हैं जो अपनी जीवनावधि पूरी कर चुके हैं या तकनीकी प्रगति के कारण अप्रचलित हो गए हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी एवं अन्य उपकरण।
- भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट उत्पादक देश है।
- वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार, औद्योगिक उपयोग चांदी की कुल मांग का 50% से अधिक हिस्सा रखते हैं।
 - ▲ फिर भी, वर्तमान में केवल लगभग 15% चांदी का पुनर्चक्रण होता है, जिससे एक सीमित और अत्यधिक मांग वाले संसाधन की बड़ी हानि होती है।

ई-वेस्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ

- **उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन की कमी:** उपभोक्ताओं को ई-वेस्ट को जिम्मेदारी से निपटाने के लिए आर्थिक या तर्कसंगत प्रोत्साहन नहीं मिलते।
- **संग्रहण ढांचे की अपर्याप्तता:** विशेष रूप से द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में अनुमोदित संग्रहण केंद्रों की कमी है।
 - ▲ अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए कबाड़ डीलर ही प्राथमिक संपर्क बिंदु हैं।
- **असुरक्षित पुनर्चक्रण पद्धतियाँ:** 90–95% से अधिक ई-वेस्ट अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसमें अम्लीय घोल, खुले में जलाना, और सुरक्षात्मक उपकरणों के बिना मैनुअल विघटन जैसी क्रूड विधियाँ अपनाई जाती हैं।
- **ग्रे चैनल आयात:** प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं अक्सर “दान” या “पुनःनिर्मित वस्तुओं” के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं, जो अंततः कचरा बन जाती हैं।

खाना पकाने के तेलों का उपयोग कर चांदी पुनर्प्राप्ति

- परंपरागत चांदी निष्कर्षण प्रक्रिया जहरीले अपशिष्ट का उत्पादन करती है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरे होते हैं।

- नई विधि में जैविक असंतृप्त फैटी एसिड, जैसे लिनोलेनिक और ओलिक एसिड का उपयोग किया गया, जो सूरजमुखी, मूंगफली, जैतून तथा अन्य वनस्पति तेलों में पाए जाते हैं।
- इन्हें 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलाकर एक हरित विलायक तैयार किया गया, जो सौम्य परिस्थितियों में चांदी को घोल सकता है।
- दूसरे चरण में, इथाइल एसिटेट जैसे सुरक्षित विकल्प का उपयोग चांदी को अलग करने और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

भारत में ई-वेस्ट प्रबंधन की अन्य पहलें

- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को अपने उत्पादों के जीवन चक्र के अंत में उत्पन्न अपशिष्ट को प्रबंधित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
 - ▲ एक ऑनलाइन EPR ई-वेस्ट पोर्टल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित किया गया है, जहाँ उत्पादक, निर्माता, पुनर्चक्रणकर्ता और पुनःनिर्माता पंजीकरण हेतु बाध्य हैं।
- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की व्यापक समीक्षा कर, ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं।
- **भारत का प्रथम ई-वेस्ट क्लिनिक** भोपाल, मध्यप्रदेश में शुरू हुआ है। यह घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों दोनों से ई-वेस्ट के पृथक्करण, प्रक्रिया और निपटान की सुविधा है।

बेसल कन्वेंशन

- बेसल कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है जो खतरनाक कचरे की सीमापार आवाजाही और निपटान को नियंत्रित करती है ताकि उनका पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
- यह 1989 में अपनाई गई थी और 1992 में प्रभाव में आई।
- भारत इस संधि का एक पक्षकार है।

निष्कर्ष

- भारत की ई-वेस्ट चुनौती तकनीकी प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच एक व्यापक संघर्ष को दर्शाती है।
- जैसे-जैसे देश डिजिटल प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि विषैला कचरा उसके आर्थिक और पारिस्थितिक आधार को कमजोर न करे।
- लक्ष्य केवल ई-वेस्ट को प्रबंधित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें से मूल्य निकालना, स्वास्थ्य की रक्षा करना और हरित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होना चाहिए—जो भारत की **विकसित भारत (Viksit Bharat)** की यात्रा के लिए आवश्यक है।

Source: TH

भारत में पारंपरिक बीज किस्मों का संरक्षण

संदर्भ

- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने हाल ही में भारत भर में सामुदायिक बीज बैंकों (CSBs) का अध्ययन किया और पारंपरिक बीज संरक्षण ज्ञान के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण में गिरावट को लेकर चिंता जताई।

पारंपरिक बीज संरक्षण का महत्व

- **आनुवंशिक विविधता:** ये बीज व्यापक आनुवंशिक आधार वाले होते हैं, जिससे फसलें कीट और बीमारियों के प्रति स्वाभाविक रूप से सहनशील बनती हैं।
 - ▲ एकल फसल प्रणाली (मोनोकल्चर) के विपरीत, जो बीमारियों के तेजी से फैलाव से ग्रस्त होती है, पारंपरिक बहु-फसल प्रणाली ऐसे जोखिमों से बचाव करती है।
- **जलवायु सहनशीलता:** बदलते मौसम—बादल फटने से लेकर सूखे तक—के दौर में पारंपरिक बीज बीमा का कार्य करते हैं। मिश्रित खेती प्रणालियों में कुछ किस्में विफल होने पर भी अन्य उपज देती हैं।
- **सततता:** खुले परागण वाले और पुनः प्रयोग किए जा सकने वाले ये बीज जैविक खेती विधियों में पनपते हैं,

जबकि वाणिज्यिक संकर बीजों के लिए रासायनिक इनपुट और प्रत्येक सीजन में पुनः खरीद की आवश्यकता होती है।

सामुदायिक बीज बैंक (CSBs)

- CSB किसानों को पारंपरिक बीज उधार लेने और फसल कटाई के बाद दोगुनी मात्रा लौटाने की अनुमति देते हैं।
- इससे विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील या आदिवासी क्षेत्रों में बीज सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- फिर भी भारत में CSBs को विनियमित करने के लिए कोई ठोस नीतिगत ढांचा नहीं है।
- बीज विधेयक 2019 अभी लंबित है, और किसान-प्रेरित बीज प्रणालियों को राष्ट्रीय कृषि रणनीति में सम्मिलित करने की कोई औपचारिक व्यवस्था विद्यमान नहीं है।

बीज संरक्षण में चुनौतियाँ

- **युवा पीढ़ी की भागीदारी में कमी:** युवा किसान अधिक उत्पादन की धारणा के चलते संकर या आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (GM) बीजों को प्राथमिकता देने लगे हैं।
- **CSBs को समर्थन का अभाव:** अधिकांश सामुदायिक बीज बैंक सीमित फंडिंग में कार्य करते हैं, मुख्यतः NGO या स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित।
 - ▲ सरकारी योजनाएँ उन्हें प्रायः बाहर कर देती हैं, जिससे कोई औपचारिक मान्यता या प्रोत्साहन नहीं मिलता।
- **सांस्कृतिक परंपराओं का क्षरण:** कृषि ज्ञान का पारिवारिक हस्तांतरण पीढ़ियों के साथ कमजोर हुआ है। उत्तराखंड की रोटियाना जैसी पारंपरिक बीज-संरक्षण परंपराएँ लुप्त होती जा रही हैं।
- **नीतिगत खामियाँ और किसानों के अधिकारों का शोषण:** पौध किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPVFR) जैसे कानूनों के बावजूद “सामान्य ज्ञान” पर आधारित बीज किस्मों का दस्तावेजीकरण कमजोर है।

- ▲ यह शून्यता कुछ व्यक्तियों को समुदाय आधारित प्राचीन किस्मों को निजी संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने की छूट देती है, जिससे जैविक लूट (बायोपायरेसी) का जोखिम बढ़ता है।

स्थानीय संरक्षण अभ्यास

- **ओडिशा की नियामगिरी पहाड़ियों में:** किसान विविध बाजरे, सब्जियों और तुलसी, गेंदे जैसे औषधीय पौधों की बुवाई करते हैं, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है।
- **उत्तराखंड की बारह अनाज प्रणाली:** बीज बचाओ आंदोलन द्वारा पुनर्जीवित, यह प्रणाली 12 पारंपरिक फसलों को एक साथ उगाने को बढ़ावा देती है।
- **तेरथा गाँव, कर्नाटक:** सहजा समृद्ध CSB नेटवर्क के माध्यम से युवा “डाइवर्सिटी ब्लॉक्स” में भागीदारी आधारित किस्म चयन (PVS) में शामिल होते हैं, और सबसे उपयुक्त बाजरा किस्मों की पहचान करते हैं।
- **चिजामी, नागालैंड:** एक महिला-नेतृत्वित CSB न केवल बीजों का संरक्षण करती है बल्कि युवाओं और स्कूली छात्रों को पारंपरिक खेती व भंडारण पर व्यवहारिक प्रशिक्षण भी देती है।
 - ▲ विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएँ बीजों को मिट्टी के घड़ों या नीम की पत्तियों के साथ बाँस की टोकरियों में संरक्षित रखने की प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जिससे बिना रसायन के दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित होता है।
- **भारत बीज स्वराज मंच (BBSM):** 2014 में स्थापित, इसने मुंबई, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में सामुदायिक उत्सवों के माध्यम से बीज संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में पुनर्जीवित किया।

आगे की राह

- **नीतिगत एकीकरण और कानूनी सुरक्षा:** “सामान्य ज्ञान” पर आधारित किस्मों का शीघ्र दस्तावेजीकरण कर अनुचित निजीकरण को रोका जाए।
- **युवा बीज संरक्षकों को प्रोत्साहन:** बीज संरक्षण में लगे युवाओं को पुरस्कार, प्रशिक्षण और वित्तीय समर्थन दिया जाए।

- ▲ बीज संरक्षण को विद्यालय पाठ्यक्रम और ग्रामीण कौशल कार्यक्रमों में शामिल किया जाए।
- **विकेन्द्रीकृत विविधता को बढ़ावा देना:** जंगलों और खेतों में बीजों के स्थल-आधारित संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाए।
 - ▲ प्रत्येक 100–200 गाँवों के लिए क्लस्टर-स्तरीय CSB स्थानीय बीज स्वराज को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **सांस्कृतिक पुनरुद्धार:** उत्सवों, लोककथाओं और पारिवारिक परंपराओं के माध्यम से युवाओं को कृषि विरासत से जोड़ा जाए।

निष्कर्ष

- पारंपरिक बीज संरक्षण केवल जैव विविधता के बारे में नहीं है—यह पारिस्थितिक सुरक्षा, खाद्य स्वराज और सांस्कृतिक निरंतरता से भी जुड़ा है।
- सही नीतियों, जन समर्थन और पीढ़ीगत सहयोग के समन्वय से भारत के “बीज रक्षक” हमें अधिक लचीली कृषि भविष्य की ओर ले जा सकते हैं।

Source: DTE

SIPRI वार्षिक रिपोर्ट 2025

संदर्भ

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वर्ष 2025 के लिए शस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति का वार्षिक आकलन जारी किया है।

प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक परमाणु प्रवृत्तियाँ (2025):**
 - ▲ कुल परमाणु हथियार: 12,241
 - ▲ सैन्य भंडार (सक्रिय/संभावित): 9,614
 - ▲ तैनात हथियार: 3,912
 - ▲ उच्च सतर्कता (बैलिस्टिक मिसाइलों पर): लगभग 2,100, जिनमें अधिकांश अमेरिका और रूस के पास हैं।
 - ▲ जनवरी 2025 तक भारत के पास 180 संग्रहीत परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 170।

- ▲ चीन के पास जनवरी 2025 तक 600 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 24 या तो तैनात हैं या परिचालन बलों के साथ मिसाइलों/बेस पर स्थित हैं।

	Military stockpile ^a			Retired warheads ^d	Total inventory ^e
	Deployed warheads ^b	Stored warheads ^c	Total		
USA	1 770	1 930	3 700	1 477	5 177
Russia	1 718	2 591	4 309	1 150	5 459
UK	120	105	225	-	225
France	280	10	290	..	290
China	24	576	600	-	600
India	-	180	180	..	180
Pakistan	-	170	170	..	170
North Korea	-	50	50	..	50
Israel	-	90	90	..	90
Total	3 912	5 702	9 614	2 627	12 241

• विस्तार और आधुनिकीकरण:

- ▲ नौ परमाणु सशस्त्र देशों—अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल—ने 2024 में अपने परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को तीव्र गति से जारी रखा।
- ▲ भारत ने 2024 में अपने परमाणु भंडार का थोड़ा विस्तार किया और नई, अधिक सक्षम परमाणु डिलीवरी प्रणालियों का विकास जारी रखा।
- ▲ पाकिस्तान ने नई डिलीवरी प्रणालियों के विकास के साथ अधिक विखंडनीय सामग्री एकत्रित की, जिससे उसके भंडार विस्तार का संकेत मिलता है।
- ▲ चीन ने अपने परमाणु भंडार के विस्तार में तीव्रता लाई और 2023 से प्रत्येक वर्ष लगभग 100 हथियार जोड़ रहा है।
- **सैन्य व्यय:** वैश्विक सैन्य व्यय 2024 में \$2.7 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जो 9.4% की वृद्धि है।
 - ▲ शीर्ष व्यय करने वाले देश: अमेरिका (\$997 बिलियन), चीन (\$314 बिलियन)।
 - ▲ शीर्ष आयातक: यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान।
 - ▲ शीर्ष निर्यातक: अमेरिका (43%), फ्रांस (9.6%), रूस (7.8%)।

THE MAIN SUPPLIERS AND RECIPIENTS OF MAJOR ARMS, 2020-24

Supplier	Global share exports (%)		Recipient	Global share imports (%)	
1 USA	43		1 Ukraine	8.8	
2 France	9.6		2 India	8.3	
3 Russia	7.8		3 Qatar	6.8	
4 China	5.9		4 Saudi Arabia	6.8	
5 Germany	5.6		5 Pakistan	4.6	
6 Italy	4.8		6 Japan	3.9	
7 UK	3.6		7 Australia	3.5	
8 Israel	3.1		8 Egypt	3.3	
9 Spain	3.0		9 USA	3.1	
10 South Korea	2.2		10 Kuwait	2.9	

चिंताएँ और दृष्टिकोण

- **हथियार नियंत्रण में गिरावट:** कोई भी प्रमुख परमाणु शक्ति पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।
 - ▲ वैश्विक शस्त्र भंडार में कमी का युग समाप्त होता प्रतीत हो रहा है।
 - ▲ चीन निरंतर रूप से अपने परमाणु बल में वृद्धि कर रहा है और आगामी 7-8 वर्षों में 1,000 हथियारों तक पहुँच सकता है।
- सभी नौ परमाणु संपन्न देशों ने 2024 में आधुनिकीकरण में भारी निवेश किया, जिसमें उन्नत प्रणालियाँ, नई तकनीकें (जैसे MIRVs, कैनिस्ट्राइजेशन, एआई-आधारित कमांड और कंट्रोल) शामिल हैं।
- **नए परमाणु राष्ट्र:** पूर्वी एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में परमाणु स्थिति और रणनीति पर पुनर्जीवित राष्ट्रीय बहस से यह संकेत मिलता है कि कुछ और देश भी अपने स्वयं के परमाणु हथियार विकसित कर सकते हैं।
- **रूस और अमेरिका** के पास मिलकर कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है।
 - ▲ दोनों देश अपने हथियारों के आकार और विविधता को बढ़ाने की दिशा में व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहे हैं।

- ▲ यदि उनके भंडारों की सीमा तय करने के लिए कोई नया समझौता नहीं हुआ, तो रणनीतिक मिसाइलों पर तैनात हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है, विशेष रूप से फरवरी 2026 में न्यू START संधि की समाप्ति के बाद।

SIPRI के बारे में

- SIPRI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, जो संघर्ष, शस्त्रीकरण, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है।
- यह 1966 में स्थापित हुआ था और यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और आम जनता के लिए खुले स्रोतों पर आधारित आंकड़े, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है।
- **वित्त पोषण:** इसे स्वीडिश संसद के निर्णय के आधार पर स्थापित किया गया और इसे स्वीडन सरकार की वार्षिक अनुदान राशि से मुख्य वित्तीय सहायता मिलती है।
 - ▲ संस्थान अन्य संगठनों से भी अनुसंधान हेतु वित्तीय सहयोग प्राप्त करता है।

Source: TH

बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म

समाचार में

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन की गति और सटीकता बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों की शुरुआत की।

प्लेटफॉर्म के बारे में

- एकीकृत नियंत्रण कक्ष आपातकालीन प्रतिक्रिया (ICR-ER), आपात प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस लाइट 2.0 (NDEM Lite 2.0), और असम का बाढ़ जोखिम क्षेत्रीकरण एटलस।
- इन उपकरणों का उद्देश्य उपग्रह डेटा और डिजिटल मैपिंग का उपयोग कर वास्तविक समय की आपदा प्रतिक्रिया,

समन्वय एवं बाढ़ की तैयारी में सुधार लाना है।

भारत की आपदा संवेदनशीलता

- भारत की विशिष्ट भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहा है।
- बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएँ बार-बार होती रही हैं।
 - ▲ लगभग 58.6% देश भूकंप संभावित क्षेत्रों में आता है, 12% से अधिक क्षेत्र बाढ़ एवं नदी कटाव की चपेट में है, और 68% कृषि योग्य भूमि सूखे की चपेट में है।

भारत का आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) तैयार की और 2019 में उसका पुनरीक्षण किया।
 - ▲ NDMP में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) से जुड़ी भारत की प्रतिबद्धताओं को शामिल किया गया है, जो तीन प्रमुख वैश्विक ढाँचों से संबंधित हैं:
 - सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (SFDRR),
 - सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और
 - पेरिस जलवायु समझौता, साथ ही प्रधानमंत्री का 10 बिंदुओं वाला एजेंडा।
- भारत सरकार ने ₹1000 करोड़ की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण योजना को भी स्वीकृति दी है, जिसके अंतर्गत केरल सहित 15 राज्यों में गतिविधियों/परियोजनाओं को लागू किया जाएगा।
- **आपदा मित्र योजना** लागू की गई है, जिसमें 350 बहु-आपदा संभावित जिलों में 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा बचाव में प्रशिक्षित किया गया है, जो सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करता है।

प्रगति

- भारत ने परिणामों में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है— उदाहरणस्वरूप, **चक्रवात बिपरजॉय** के दौरान शून्य मृत्यु, जबकि 1999 के ओडिशा सुपर चक्रवात में 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी।
- **बजट आवंटन में भारी वृद्धि हुई है:** SDRF: ₹38,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1.44 लाख करोड़। NDRF: ₹28,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹84,000 करोड़। कुल बजट: ₹66,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़।
- ₹68,000 करोड़ की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (National Disaster Risk Management Fund) की स्थापना।
- ₹470 करोड़ की लागत से 1 लाख स्वयंसेवकों (20% महिलाएँ) को प्रशिक्षित करने के लिए
 - ▲ युवा आपदा मित्र योजना की शुरुआत।
- भारत की पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्वानुमान क्षमता और जन-जागरूकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- **पर्यावरण संरक्षण को दीर्घकालिक आपदा न्यूनीकरण की कुंजी माना गया है**, जिसमें भारत मिशन लाइफ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और डिजास्टर रेसिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर गठबंधन (CDRI) जैसे अभियानों का नेतृत्व कर रहा है।

समस्याएँ और चिंताएँ

- प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार के बावजूद दीर्घकालिक लचीलापन (resilience) में महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।
- उत्तराखंड (2021) और हिमाचल प्रदेश (2024) की आपदाएँ दर्शाती हैं कि समुदायों को सशक्त करने और लचीला बुनियादी ढांचा बनाने वाले पुनर्निर्माण प्रयासों की आवश्यकता है।
- **केवल केंद्रीय एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भरता स्थानीय क्षमताओं को कमजोर कर सकती है।**
- राहत कार्यों के दौरान पर्यावरणीय स्थिरता को प्रायः नजरअंदाज किया जाता है, जिससे प्रदूषण और संसाधन प्रदूषण जैसी दीर्घकालिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

सुझाव और आगे की राह

- भारत का आपदा प्रबंधन ढांचा निश्चित रूप से एक समग्र प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है, जो रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के सभी चरणों को कवर करता है।
- भारत के लंबे समुद्र तट को ध्यान में रखते हुए, जो चक्रवातों और सुनामी के प्रति संवेदनशील है, **नीति में पारिस्थितिक तंत्र-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (eco-DRR) को सम्मिलित करना आवश्यक है।**
- **प्राकृतिक समाधान**, जैसे मैंग्रोव रोपण और आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन, सुरक्षा और पारिस्थितिक लाभ दोनों प्रदान करते हैं।
- **आपदा प्रतिक्रिया को पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकटों के साथ समन्वयित करना** इसकी दक्षता को बढ़ा सकता है।
- स्थानीय नेताओं को प्रशिक्षण और संसाधनों से सशक्त करने से आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है और बाहरी निर्भरता कम हो सकती है।
- **पर्यावरण-अनुकूल आश्रय और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।**

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

अरेबियन पैनिनसुला

समाचार में

- नई शोध 'ग्रीन अरेबिया' परिकल्पना का समर्थन करती है, जिससे ज्ञात हुआ है कि अरब प्रायद्वीप ने विगत 80 लाख वर्षों में कई आर्द्र चरणों का अनुभव किया।
- ये आर्द्र मौसम कालखंड, खनिज गुफा संरचनाओं (स्पेलिओथेम्स) द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, जिन्होंने इस रेगिस्तानी क्षेत्र को हरे-भरे परिदृश्य में बदल दिया, जिससे जानवरों और प्रारंभिक मानवों को अफ्रीका और यूरेशिया के बीच प्रवास करने में मदद मिली।

अरब प्रायद्वीप

- यह दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थित एक भूभाग है।
- यह अरब लोगों की मूल जन्मभूमि है और इस्लाम धर्म का उद्गम स्थल भी है।
- यह क्षेत्र सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, बहरीन और जॉर्डन तथा इराक के कुछ हिस्सों को सम्मिलित करता है।
- यह लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है।
- अरब रेगिस्तान लगभग पूरे प्रायद्वीप को आच्छादित करता है।

हालिया निष्कर्ष

- इस धारणा को चुनौती देते हैं कि अरब क्षेत्र हमेशा बंजर रहा है, और यह सुझाव देते हैं कि इसने मानव विकास और प्रवास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - ▲ यह शोध यह भी समझने में मदद करता है कि जलवायु परिवर्तन ने मानव इतिहास को किस प्रकार आकार दिया है — और भविष्य में भी कैसे आकार दे सकता है।

Source :TH

साइप्रस प्रश्न

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की और साइप्रस की एकता तथा “साइप्रस प्रश्न” के “शांतिपूर्ण समाधान” के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।

साइप्रस प्रश्न क्या है?

- **पृष्ठभूमि:** साइप्रस एक ब्रिटिश उपनिवेश था जब तक कि उसने 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की।
 - ▲ इसका संविधान ग्रीक साइप्रियोट्स (बहुसंख्यक) और तुर्की साइप्रियोट्स (अल्पसंख्यक) के बीच सत्ता संतुलन के लिए बनाया गया था।
 - ▲ दोनों समुदायों के बीच शासन व्यवस्था को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ।

- ▲ ग्रीक साइप्रियोट्स यूनान के साथ एकीकरण (एनोसिस) के पक्षधर थे, जबकि तुर्की साइप्रियोट्स विभाजन (तकसीम) चाहते थे।
- **तख्तापलट:** ग्रीक समर्थित तख्तापलट ने साइप्रस को यूनान में मिलाने का प्रयास किया।
 - ▲ इसके प्रत्युत्तर में, तुर्किये ने 1960 की गारंटी संधि के अंतर्गत अपनी गारंटर शक्ति के अधिकारों का उदाहरण देते हुए साइप्रस पर हमला किया।
 - ▲ तुर्किये ने द्वीप के उत्तरी हिस्से का लगभग 37% भाग पर कब्जा कर लिया।
- **1974 से, साइप्रस वस्तुतः विभाजित है:**
- दक्षिण में साइप्रस गणराज्य (अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, 2004 से यूरोपीय संघ का सदस्य)।
- उत्तर में तुर्किये समर्थित उत्तरी साइप्रस का तुर्की गणराज्य (TRNC), जिसे केवल तुर्किये द्वारा मान्यता प्राप्त है।

Source: TH

भारत रिंडरपेस्ट वायरस ‘मवेशी प्लेग’ नियंत्रण के विशिष्ट समूह में सम्मिलित

संदर्भ

- भारत ने रिंडरपेस्ट वायरस ‘कैटल प्लेग’ नियंत्रण के लिए विशिष्ट वैश्विक समूह में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, क्योंकि भोपाल स्थित आईसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस (NIHSAD) को **कैटेगरी A रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी** नामित किया गया है।

परिचय

- इस मान्यता को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा प्रदान किया गया है।
- भारत ने 2019 में रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी की स्थिति के लिए आधिकारिक आवेदन प्रस्तुत किया था।
 - ▲ 2025 में FAO और WOAH द्वारा नियुक्त अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक संयुक्त निरीक्षण टीम ने ICAR-NIHSAD का व्यापक मूल्यांकन किया।

- ▲ इस व्यापक मूल्यांकन के पश्चात, संस्थान को अब एक वर्ष की अवधि के लिए औपचारिक रूप से कैटेगरी A RHF के रूप में अनुमोदित किया गया है।
- यह मान्यता भारत को विश्व भर में केवल छह उन प्रतिष्ठानों की विशिष्ट सूची में सम्मिलित करती है, जिन्हें रिंडरपेस्ट वायरस सामग्री को सुरक्षित रूप से संरक्षित रखने की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- ▲ अन्य पाँच फैसिलिटी यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, जापान और इथियोपिया में स्थित हैं।

रिंडरपेस्ट

- रिंडरपेस्ट, जिसे कभी 'कैटल प्लेग' (गायों का महामारी रोग) कहा जाता था, विश्व के इतिहास में पशुधन को प्रभावित करने वाली सबसे विनाशकारी बीमारियों में से एक थी—जिसे 2011 में वैश्विक स्तर पर समाप्त घोषित किया गया।
- हालाँकि, रिंडरपेस्ट वायरस-युक्त सामग्री (RVCM) कुछ प्रयोगशालाओं में अब भी संरक्षित है, जो यदि लीक हो जाए तो संभावित रूप से गंभीर खतरा बन सकती है।
- इस बीमारी से वैश्विक मुक्ति बनाए रखने हेतु, FAO और WOAHP ने सख्त उपाय अपनाए हैं ताकि RVCM को केवल चुनिंदा उच्च-सुरक्षा प्रयोगशालाओं में ही संग्रहीत किया जाए।

Source: AIR

FATF ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की

संदर्भ

- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह हमला आर्थिक शयत के बिना संभव नहीं था। यह प्रथम बार है जब FATF ने "राज्य प्रायोजित आतंकवाद" को आतंक वित्तपोषण के स्रोत के रूप में स्वीकार किया है।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF)

- FATF एक अंतर-सरकारी संगठन है जो धन शोधन, आतंक वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है।

- ▲ **इतिहास:** FATF की स्थापना 1989 में G7 देशों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की समीक्षा और विकास के लिए की गई थी। 2001 में FATF के अधिकार क्षेत्र को आतंकवाद वित्तपोषण से भी निपटने के लिए बढ़ा दिया गया।
- ▲ **सदस्य:** वर्तमान में FATF के 39 सदस्य हैं, जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना। FATF ने 24 फरवरी 2023 को रूसी संघ की सदस्यता निलंबित कर दी थी। (पहले सदस्य देशों की संख्या 40 थी)।
- ▲ **सचिवालय:** यह पेरिस में स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में है।
- ▲ **कार्यादेश :** FATF को उन देशों के विरुद्ध चेतावनी और प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है जो इसके मानकों का पालन नहीं करते, जैसे सदस्यता निलंबन और ब्लैकलिस्ट करना।

FATF की 'ग्रे लिस्ट' और 'ब्लैकलिस्ट'

- **ब्लैकलिस्ट:** ऐसे देश जिन्हें गैर-सहयोगी देश या क्षेत्र (NCCTs) के रूप में जाना जाता है और जो आतंकवाद वित्तपोषण और धन शोधन गतिविधियों का समर्थन करते हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाला जाता है। वर्तमान में तीन देश ब्लैकलिस्ट में हैं: उत्तर कोरिया, म्यांमार और ईरान।
- **ग्रे लिस्ट:** ऐसे देश जो आतंकवाद वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित आश्रय माने जाते हैं, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है।
 - ▲ ग्रे लिस्ट में शामिल देशों पर FATF द्वारा अधिक निगरानी रखी जाती है।
 - ▲ फरवरी 2025 तक इस सूची में 25 देश शामिल हैं।
 - ▲ यह सूची आर्थिक और छवि से संबंधित प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहायता की प्राप्ति प्रभावित होती है।
 - ▲ पाकिस्तान 2018 से 2022 तक चार वर्षों तक ग्रे लिस्ट में रहा था।

Source: AIR

भारत ने सूरीनाम को मशीनरी की अंतिम खेप भेजी

संदर्भ

- भारत ने SEEDS (सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के कुशल विकास के लिए उपकरण आपूर्ति) पहल के अंतर्गत सूरीनाम को पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए दूसरी और अंतिम बैच की मशीनरी भेज दी है।

पहल के बारे में

- यह पहल भारत द्वारा सूरीनाम को दिए गए \$1 मिलियन के SME अनुदान का भाग है।
- इसका उद्देश्य सूरीनाम में एक पैशन फ्रूट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना में सहायता प्रदान करना है।
- इस परियोजना को NABARD कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS) का समर्थन प्राप्त है।

पैशन फ्रूट (*Passiflora edulis*)

- यह एक उष्णकटिबंधीय फल है, जो मुख्यतः दक्षिण अमेरिका—विशेष रूप से दक्षिणी ब्राज़ील, पराग्वे और उत्तरी अर्जेंटीना—का मूल निवासी है।
 - इसे 1553 में स्पेनिश और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों द्वारा यूरोप में प्रस्तुत किया गया था।
- पोषण मूल्य:** यह विटामिन A, विटामिन C, आहार फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है।

सूरीनाम

- सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर तटीय क्षेत्र में स्थित एक छोटा देश है।
- इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में ब्राज़ील, और पश्चिम में गुयाना।
- राजधानी: पारामारिबो
- आधिकारिक भाषा: डच यह अपने विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के लिए प्रसिद्ध है, जो देश के 90% से अधिक क्षेत्र को आच्छादित करते हैं।



Source: AIR

भारत का कुल व्यापार घाटा घटकर 6.6 अरब डॉलर रह गया

समाचार में

- भारत का व्यापार घाटा मई 2025 में घटकर **\$6.6 बिलियन** रह गया, जो 2024 की तुलना में 30% की गिरावट दर्शाता है।
 - यह मुख्यतः तेल की घटती कीमतों और सेवाओं के मजबूत निर्यात के कारण हुआ।

मुख्य बिंदु

- कुल निर्यात 2.8% बढ़कर **\$71.1 बिलियन** हो गया, जिसमें सेवा निर्यात 9.4% बढ़कर **\$32.4 बिलियन** पहुंच गया।
- हालाँकि, वस्तु (मर्चेंडाइज़) निर्यात 2.2% घटकर **\$38.7 बिलियन** रह गया, जिसका मुख्य कारण वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट है।
- गैर-पेट्रोलियम निर्यात में 5.1% की वृद्धि हुई।
- वस्तु आयात 1.7% घटा, हालाँकि गैर-पेट्रोलियम आयात में 10% की वृद्धि हुई।
- कुल मिलाकर, मई 2025 में कुल आयात में 1% की गिरावट देखी गई।

व्यापार घाटा

- जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, तो इसे व्यापार घाटा कहते हैं, जिससे नकारात्मक व्यापार संतुलन उत्पन्न होता है।
- यह वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल करता है और यह एक प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक संकेतक होता है।
- निरंतर व्यापार घाटा मुद्रा अवमूल्यन, नौकरियों में गिरावट और विदेशी ऋण में वृद्धि जैसी समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।

कारण

- व्यापार घाटा बचत और निवेश के बीच असंतुलन, आयात की अधिक मांग, मुद्रा उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक वृद्धि के कारण होता है।
- मजबूत उपभोक्ता व्यय और मजबूत घरेलू मुद्रा भी आयात को बढ़ाकर और निर्यात को कम करके इसमें योगदान करते हैं।

प्रभाव

- व्यापार घाटे के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं।
- यह सस्ती और विविध वस्तुएँ प्रदान करके जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है, लेकिन दीर्घकालीन घाटा राष्ट्रीय ऋण बढ़ा सकता है, घरेलू उद्योगों को कमजोर कर सकता है, रोजगार हानि का कारण बन सकता है और मुद्रा के मूल्य को कम कर सकता है।
- निरंतर घाटे से आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है और यह सरकार की व्यापार और राजनयिक नीतियों को प्रभावित कर सकता है।

उपाय

- व्यापार घाटे को कम करने के लिए देश घरेलू बचत में वृद्धि, निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार, वित्तीय नीतियों में समायोजन, और स्थानीय विनिर्माण को समर्थन जैसे उपाय अपना सकते हैं।
- रणनीतिक व्यापार अवरोधों (ट्रेड बैरियर) का उपयोग और नवाचार में निवेश भी आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

Source :TH

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस(IBCA)

संदर्भ

- अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) की प्रथम महासभा में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में समर्थन दिया गया।

परिचय

- IBCA की सर्वोच्च निकाय महासभा में भूटान, कंबोडिया, कजाखिस्तान, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, गिनी गणराज्य, इस्वातिनी और भारत सहित 9 देशों के मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया और IBCA द्वारा लिए गए निर्णयों की पुष्टि की।
- भारत के साथ IBCA द्वारा हस्ताक्षरित मुख्यालय समझौते की पुष्टि ने संस्था को मेज़बान देश में अपना मुख्यालय और अन्य कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी।

अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)

- IBCA की स्थापना नोडल संगठन—राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय—द्वारा 2024 में की गई थी। जब निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया जैसे पांच देशों ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर IBCA की सदस्यता ली, तब यह एक वैधानिक संस्था बन गई। यह 95 रेंज देशों का एक गठबंधन है।
- IBCA का प्रमुख उद्देश्य सात बिग कैट—बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा—के संरक्षण को सुनिश्चित करना है।
- उद्देश्य:
 - संबंधित हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाना
 - सफल संरक्षण प्रथाओं का एकीकरण
 - तथा वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए विशेषज्ञता का उपयोग।
- यह पहल बिग कैट के सतत भविष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत के नेतृत्व

और वैश्विक वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

Source: PIB

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन

समाचार में

- वार्षिक बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जर्मनी में आरंभ हुआ, जिसमें 5,000 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि और हितधारक सम्मिलित हुए।
- सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु वित्त के जुटाव सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन

- यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) के अंतर्गत एक प्रमुख वार्षिक मध्य-वर्षीय बैठक है, जिसे UNFCCC सहायक निकायों (SBs) के सत्र के रूप में जाना जाता है।
- यह COP के साथ-साथ UNFCCC का एक मुख्य जलवायु सम्मेलन है।
- यह सहायक निकायों के सदस्यों, आदिवासी प्रतिनिधियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वैज्ञानिकों और नागरिक समाज को एक साथ लाकर जलवायु समझौतों के कार्यान्वयन और समीक्षा को समर्थन प्रदान करता है।

उद्देश्य

- यह जलवायु वार्ताओं के तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रित है तथा वर्ष के अंत में होने वाले COP सम्मेलन के लिए एजेंडा निर्धारित करने में सहायता करता है।
- बॉन से प्राप्त निष्कर्ष COP निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि सहायक निकायों की सिफारिशें प्रायः अंतिम कार्यों को आकार देती हैं।
- यह विगत COP में किए गए समझौतों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करता है।

इस वर्ष का एजेंडा

- बॉन सम्मेलन में एक प्रमुख विषय है—**अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (Global Goal on Adaptation - GGA)**, जिसका उद्देश्य जलवायु अनुकूलन के लिए एक एकीकृत वैश्विक लक्ष्य तय करना है, जैसा कि उत्सर्जन न्यूनीकरण के लिए 1.5°C लक्ष्य है।
- हालाँकि इसे 2015 के पेरिस समझौते में पेश किया गया था, लेकिन इस पर महत्वपूर्ण प्रगति केवल **COP28 दुबई** में हुई, जहाँ अनुकूलन लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए एक रूपरेखा अपनाई गई थी।

Source :IE

क्या आप जानते हैं?

- बॉन सम्मेलन का नेतृत्व UNFCCC के दो स्थायी सहायक निकाय करते हैं—**क्रियान्वयन हेतु सहायक निकाय (SBI)** और **वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाह हेतु सहायक निकाय (SBSTA)**। SBI यह समीक्षा करता है कि UNFCCC के निर्णयों को कैसे लागू किया गया है और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करता है।
- SBSTA वैज्ञानिक सलाह प्रदान करता है और IPCC के शोध को COP नीति निर्माताओं से जोड़ता है।